अत्यन्त महत्वपूर्ण

पत्र सं0–ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0–06/स0प0/एफ0एम0सी0जी0/18–19/1854 वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(वि0अनु0शा0–अनुभाग)
लखनऊः: दिनांक 23, अक्टूबर, 2018

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
एडीशनल कमिश्नर–ग्रेड–2(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर
ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

वाणिज्यिक क्रिया कलापों की दृष्टि से आने वाला पखवारा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दीपावली का पर्व सन्निकट है। ऐसे अवसर पर व्यापक बिक्री के उद्देश्य से बड़ी–बड़ी कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादों पर विभिन्न प्रकार की स्कीम घोषित की जाती है तथा मोटर व्हेकिल, दुपहिया वाहनों, इलेक्ट्रानिक वस्तुओं किराना, मेवा, मिठाई, रेडीमेड गारमेण्ट, बर्तन, गिफ्ट आइटम व अन्य एफ0एम0सी0जी0 वस्तुओं का क्रय/विक्रय अन्य किसी भी माह की तुलना में इस अवसर पर अधिक होता है। ई–शॉपिंग कम्पनीज, कोरियर कम्पनियों की सक्रियता बढ़ जाती है। इनका पंजीयन एवं टी0सी0एस0 ~~कटने~~ कटने का प्रावधान दिनांक 01.11.2018 से लागू हो गया है।

इसी क्रम में दीपावली के अवसर पर विभिन्न बैंकों एवं डाकघरों द्वारा सोने/चाँदी के सिक्के/बुलियन की बिक्री, बड़े पैमाने पर पटाखों एवं आतिशबाजी के सामानों की बिक्री किए जाने एवं विभिन्न कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसेज में किराना/मेवा का भण्डारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त थोक व बड़े व्यापारियों, स्टाकिस्टों द्वारा अपने आपूर्ति केन्द्रों/गोदामों पर भी उक्त बिक्री योग्य वस्तुओं का संग्रह कर लिया जाता है। अतएव ऐसे अवसरों पर व्यापक बिक्री के दृष्टिगत करापवंचन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड्स (एफ0एम0सी0जी0) का व्यापार करने वाली करापवंचन में लिप्त फर्मो की प्राथमिकता से जांच कराया जाना आवश्यक है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार एक अभियान के रूप में जांच कार्यवाही कराते हुए अभियान से सम्बंधित प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय के सचल दल एवं वि0अनु0शा0 अनुभाग को पृथक–पृथक रूप से पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में उपलब्ध कराई जाये, जिसकी समीक्षा माह नवम्बर 2018 की मासिक समीक्षा बैठक में की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

22/X/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।